न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर

पीठासीन अधिकारी महिपाल कुमार आर.ए.एस.

खाद्य सुरक्षा प्रकरण संख्या : 02/2017

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थीगण**
1. सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर		1. धन्नाराम जाट पुत्र श्री निम्बाराम उम्र-34 वर्ष **(एफबीओ/मालिक)** फर्म मै.चौधरी किराणा स्टोर, ओसियां रोड़, बावड़ी जिला जोधपुर निवासी-ग्राम ढण्ढोरा, तहसील भोपालगढ, जोधपुर 2. पदमचन्द मूथा पुत्र श्री लक्खीचन्द (**मालिक**) फर्म मै. पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी, सी-2, मण्डोर मण्डी जोधपुर निवासी-लक्ष्मी नगर, पावटा क्षेत्र, जोधपुर

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (ii) एवं धारा 51 एवं 52 के तहत

उपस्थिति:- 1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार उपस्थित।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री श्यामसिंह राठौड़ उपस्थित।
3. अप्रार्थी संख्या 2 स्वयं उपस्थित।

निर्णय

दिनांक 20.02.2019

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 01.03.2016 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी गश्त चैकिंग मैसर्स चौधरी किराणा स्टोर ओसियां रोड़, बावड़ी जिला जोधपुर पर पहुंच कर निरीक्षण करने पर श्री धन्नाराम जाट पुत्र श्री निम्बाराम जाट, उम्र 34 वर्ष (एफबीओ/मालिक), निवासी ग्राम ढण्ढोरा तहसील भोपालगढ, जिला जोधपुर उपस्थित मिले जो आम जनता को उपयोग हेतु **चाय (मूथा गोल्ड)** एवं किराणा सामान का विक्रय कर रहे थे। मालिक/विक्रेता से वर्ष 2016 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगा, जो इन्होने मौके पर पेश नहीं किया एवं स्वयं का पहचान पत्र पेन कार्ड की छायाप्रति पेश की। दुकान का निरीक्षण करने पर **चाय (मूथा गोल्ड)** लकड़ी की रैक पर 40 पाउच प्रत्येक 250 ग्राम के आम जनता को विक्रय हेतु रखे थे। इसका निरीक्षण करने पर मिलावट/अमानक स्तर/मिथ्या छाप का शक होने पर इसकी जांच एफ.एस.एस.एक्ट के तहत कराने हेतु रूबरू गवाहों श्री प्रकाश पुत्र श्री मुक्काराम जाट निवासी गांव नांदड़ी तहसील खींवसर जिला नागौर एवं साथ गये श्री भैराराम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर के सामने विक्रेता को प्रपत्र 5ए भरकर देकर रसीद प्राप्त की एवं विक्रेता को रूपये 200/- नगद देकर **चाय (मूथा गोल्ड)** 250 ग्राम 08 नग वास्ते जांच खरीदा तथा रूपयों की रसीद प्राप्त की। जिस पर जांच अधिकारी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) जोधपुर, विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर हैं।

उक्त खरीदशुदा **चाय (मूथा गोल्ड)** 08 पैकेट्स को बराबर बराबर (02-02) पैकेट्स के चार भागों को गत्ते के डिब्बों में अलग-अलग डालकर इन डिब्बों बांधकर चार भाग किये एवं चारों भागों हेतु चार लेबल तैयार किये जिस पर डी.ओ.कोड व सीरियल नम्बर **एम-1031** खाद्य पदार्थ का विवरण एंव नमुना लेने

का स्थान एवं दिनांक अंकित की गई। खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने लेबल पर हस्ताक्षर किये। चारों नमूनों पर उपरोक्त लेबल चिपकाया। प्रत्येक मूल पैकेट को अलग-अलग भूरे कागज से लपेटा एवं कागज के दोनों किनारों को गोंद से चिपकाया, चार पेपर स्लिप **एम-1031** हस्ताक्षर युक्त जिला अभिहित अधिकारी जोधपुर की नियमानुसार प्रत्येक नमूनें पर सिर से होते हुए नीचें पेदें तक गोंद से चिपकाई गयी एंव चारों नमूनों को अलग-अलग मोटे मजबूत धागे से बांधा एवं धागे की गांठ लगाई प्रत्येक नमुना पर नियमानुसार चार-चार सील चपडी की लगाई एक नमूनें के सिर पर एक पेदें पर एक बॉडी पर एवं एक धागे की गांठ पर लगाई एवं चारों नमूनों पर अपने हस्ताक्षर किये व विक्रेता के नियमानुसार आधे स्लिप से होते हुए आधे रेपिंग पेपर पर क्रोस करवाते हुये हस्ताक्षर करवाये गवाह के हस्ताक्षर करवायें तथा चारों नमूनों को सीलबन्द अवस्था में अपने कब्जे मे किया मौका फर्द मौके पर तैयार किया पढकर पढाकर समझाकर होश हवास में खाद्य सुरक्षा अधिकारी जोधपुर, गवाह व विक्रेता ने हस्ताक्षर किये। जिस सील से नमूना **एम-1031** सील चपडी किया उसका मोनोग्राम मौके पर ही मौका फर्द पर अंकित किया। उपरोक्त समस्त कार्यवाही स्वयं जांच अधिकारी ने गवाह व विक्रेता के सामने मौके पर ही की। जांच अधिकारी ने अपने कार्यालय पंहुच कर फार्म नम्बर 6 की प्रतिया तैयार की। जिन पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर का पता अंकित किया गया। उक्त सिल्ड नमूना एवं सिल्ड लिफाफा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर द्वारा दिनांक 02.03.2016 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एंव मानक प्रयोगशाला जोधपुर को वास्ते जांच जमा करवाकर रसीदे प्राप्त की।

प्रार्थी ने परिवाद में यह भी उल्लेखित किया कि चारों नमूनों को अलग अलग भागों में **एम-1031** की जांच कर खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर ने अपनी जांच रिपोर्ट फॉर्म बी संख्या एलएस/201/एक्ट/2016/241 दिनांक 11.03.2016 अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर को भेजी जिसके अनुसार नमूना जांच में उपरोक्त खाद्य पदार्थ **चाय (मूथा गोल्ड)** का नमूना क्रूड फाईबर (एम/एम) जो कि **not more than 16.5%** होना चाहिए था जो कि **18.20%** प्राप्त हुआ के आधार पर **अमानक स्तर (Sub Standard)** एवं पैकेट पर बैच नम्बर अंकित नहीं थे जो कि एफ.एस.एस.एक्ट के पैकेजिंग एण्ड लैबलिंग रेग्युलेशन 2011 के रेग्युलेशन संख्या 2.2.2(8) के अनुसार **मिथ्या छाप (Misbranded)** होना पाया गया। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ का विक्रय करने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन पाये जाने से प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह परिवाद पेश किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के साथ परिवाद पेश करने का अभिहित अधिकारी का प्राधिकृत पत्र मूल, गजट नोटिफिकेशन, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति, प्रपत्र 5ए, नमूना खरीद की रसीद व मौका फर्द मूल, अप्रार्थी का पेन कार्ड की प्रति, नमूना संख्या एडी -315 एवं सिल्ड लिफाफा प्रारूप VI जमा रसीद, खाद्य विश्लेषक को जमा रसीद (प्रारूप VI के पीछे), नमूना संख्या एडी-315 के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ सिल्ड भाग की प्राप्ति रसीद, जांच रिपोर्ट अग्रेषण पत्र संख्या 6315-16, जांच रिपोर्ट फार्म बी एल.एस./201/एक्ट/2016/241, श्री धन्नाराम को लिखा पत्र संख्या 05, श्री धन्नाराम का पत्र, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर का इनवोईस 51785, चौधरी किराणा स्टोर की खाद्य अनुज्ञा पत्र की जमा रसीद, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर को लिखा पत्र 16 मय अग्रेषण पत्र 6315-16, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी को लिखा स्मरण पत्र 21, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर का लिखा पत्र, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर का एफएसएसआई अनुज्ञा पत्र, वेट-03 प्रमाण पत्र एवं पहचान पत्र, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर को लिखा स्पष्टीकरण पत्र 27, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी का लिखा पत्र, पदमचन्द मूथा एण्ड कम्पनी जोधपुर का रिको आवंटन पत्र एवं परिवाद पेश करने का पत्र प्रस्तुत किया गया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से परिवाद प्राप्त होने पर दिनांक 08.02.17 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी करने पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जरिये अधिवक्ता दिनांक 17.07.2017 को जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 1 ने बताया कि चाय (मूथा गोल्ड) का नमूना न तो अमानक स्तर पर और नही मिथ्या छाप वाला था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायिक दृष्टान्त 1971 सीआरएलजे पेज 1290 द्वारकानाथ व अन्य बनाम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली के नजरी के अनुसार बैच नम्बर व कोड नम्बर की बाध्यता को समाप्त कर दिया तथा उक्त नियम को काननू से अपास्त कर दिया इस आधार पर नमूना कतई मिथ्या छाप का होना साबित नहीं है। चाय (मूथा गोल्ड) का नमूना अमानक स्तर व मिथ्या छाप के लिए अप्रार्थी संख्या 2 जिम्मेवार है अप्रार्थी संख्या 1 ने किसी भी तरह से कोई धारा व नियम का उल्लंघन नहीं किया है। अप्रार्थी ने कोई अनुचित लाभ प्राप्त नहीं किया है और न ही अप्रार्थी का कृत्य बारम्बार का है इसके अलावा उक्त उपबंध की जानकारी नहीं होने से अप्रार्थी निर्दोष है इसलिए अप्रार्थी उक्त परिवाद में वर्णित आरोपित अपराध से उन्मोचित होने के हकदार है तथा अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने योग्य होने व उक्त परिवाद संदेह से परे साबित नहीं होने की वजह से खारिज कर अप्रार्थी संख्या 1 के विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने का निवेदन किया गया है।

अप्राथी संख्या 2 ने दिनांक 08.01.2018 को स्वयं उपस्थित होकर जवाब पेश किया जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 ने बताया कि वह चाय बागवान से खरीदता है तथा उसकी पैंकिग करता है। अप्रार्थी ने चाय निर्माण नहीं की है, इस कारण इसमें जो अमानक स्तर पाया गया उसके लिए वह दोषी नहीं है, क्योंकि चाय प्रकृति से उत्पन्न होती है, बनायी नहीं जाती है। चाय पर बेच नम्बर अंकित नहीं होना अप्रार्थी संख्या 02 की भूल मात्र रहीं है, जिसका भविष्य में आवश्यक रूप से ध्यान रखा जायेगा। अत: अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा परिवाद का जवाब प्रस्तुत कर उनके विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की बहस सुनी गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस में जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए प्रकरण को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

हमने प्रार्थी (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत पत्रावली एवं खाद्य विश्लेषक राजस्थान जोधपुर की रिपोर्ट का अवलोकन किया। अप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं बहस पर मनन करने पर पाया कि अप्रार्थीगण खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की उपधारा (2) (ii) का उल्लंघन करने पर धारा 51 व 52 के तहत दोषी है। अत: अप्रार्थी संख्या 1 व 2 **प्रत्येक पर रूपये 5,000/- कुल शास्ति रूपये 10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** आरोपित की जाती है, अभियुक्त अप्रार्थीगण उपरोक्त शास्ति राशि न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय) जोधपुर के नाम डिमाण्ड ड्राफ्ट के माध्यम से निर्णय दिनांक 20.02.2019 के एक माह के अन्दर अन्दर जमा करवाकर रसीद प्राप्त करे। निर्णय की प्रति समस्त संबंधित को भिजवायी जावे।

निर्णय लिखाया जाकर दिनांक 20.02.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महिपाल कुमार)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (द्वितीय)
जोधपुर